.NET COMPUTER EDUCATION & SKILL DEVELOPMENT PVT. LTD.

केंद्रीय कार्यालय: अमेठी, उत्तर प्रदेश | Central Office: Amethi, Uttar Pradesh

पत्रांक संख्या: NCE/HQ/SAFE-NOT/2026/1102

दिनांक: 24 जून, 2026

🚨 आधिकारिक आदेश / OFFICIAL DIRECTIVE

विषय: समस्त सम्बद्ध शाखाओं/संस्थानों में अनिवार्य अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) उपकरण स्थापना एवं NOC प्रेषण के सम्बन्ध में।

प्रिय संस्थान संचालक / फ्रैंचाइज़ी पार्टनर्स,

हाल ही में लखनऊ में घटित हुई दुखद अग्नि दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए, मुख्य कार्यालय **.NET COMPUTER EDUCATION & SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED** द्वारा छात्र हित एवं जनसुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है। हमारे संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा परम दायित्व और सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अतः प्रबंधन द्वारा यह **परमादेश (Mandatory Directive)** जारी किया जाता है कि सभी सम्बद्ध केंद्र संचालक अपने-अपने संस्थान परिसरों में निम्नलिखित सुरक्षा मानकों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें:

अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:

01 **अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता:** सभी केंद्र संचालक अपने संस्थान परिसर के क्षेत्रफल के अनुसार स्थानीय अग्निशमन विभाग (Fire Department) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में आधुनिक **Fire Extinguishers (अग्निशमन यंत्र)**, सैंड बकेट्स एवं अन्य आवश्यक आपातकालीन सुरक्षा उपकरण तत्काल स्थापित करवाएं।

02 **विभागीय NOC प्रमाण पत्र:** उपकरणों की स्थापना के उपरांत, स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण से परिसर का आवश्यक निरीक्षण करवाकर आधिकारिक **NOC (No Objection Certificate)** अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

03

सर्टिफिकेट प्रतिलिपि प्रेषण: संबंधित विभाग से NOC प्रमाण पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 15 कार्यदिव भीतर, उसकी एक स्पष्ट डिजिटल स्कैन प्रति (PDF) मुख्यालय के आधिकारिक पोर्टल अथवा ईमेल पर अ रूप से अपलोड/प्रेषित करें।

⚠ दंडात्मक चेतावनी (Disciplinary Action Warning):

उक्त निर्देशों का अनुपालन पूर्णतः अनिवार्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता या लापरवाही अक्षम्य होगी किसी भी आकस्मिक जांच में मानक अपूर्ण पाए जाने या निर्धारित समयावधि में NOC प्रस्तुत न करने की स्थिति में, संबंधित संस्थान के विरुद्ध दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र संचालक की होगी। साथ ही, मुख्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के **संस्थान की सम्बद्धता (Franchise Affiliation) को तत्काल प्रभाव से निरस्त/ निलंबित** कर दिया जाएगा।

आंतरिक सुरक्षा एवं निरीक्षण समिति
.NET Computer Education

प्रबंध निदेशक (Managing Director)
.NET Computer Education & Skill Development Pvt. Ltd.

🚒 सुरक्षा ही सर्वोपरि है। | www.nceorg.in